न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 82 / 2016

1 वासुदेव पुत्र पूरणाराम जाति कुम्हार निवासी चुड़ी मियांन तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

1 रामकुमार पुत्र पूरणाराम।
2 भंवरलाल पुत्र पूरणाराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण चूडी मियांन तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 पटवारी हल्का बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चूड़ी मियांन तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 01.09.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
बाबत मुकदमा नम्बर 119 / 2015 आवेदन अन्तर्गत धारा
212 आर.टी.एक्ट बउनवानी वासुदेव बनाम रामकुमार
पीठासीन अधिकारी श्री संतोष कुमार मीणा, आर.जे.एस
अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फूलचन्द थालौड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 21.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 119/2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.09.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी/वादी की और से अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में एक वाद मय आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम चूड़ी मियान तहसील लक्ष्मणगढ़ में आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 3.79 हैक्टेयर अवस्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पैतृक वंशानुगत आराजी है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3, अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 का हिस्सा 1/3,1/3 है। जिस पर मौके पर बाह्मी बंटवारा (पारिवारिक बंटवारा) से काबिज काश्त है किन्तु प्रार्थी की खातेदारी में प्रार्थी का गलत हिस्सा दर्ज कर दिया जिसमे प्रार्थी की खातेदारी 1/9 हिस्सा विधिक रूप से है लेकिन 1/12 हिस्सा दर्ज कर दिया जिससे प्रार्थी के हक अधिकार पूर्णतया प्रभावित हो रहे है। शेष हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 के नाम से दर्ज है जो अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 ने इनकी बहिने व मां को बहला फुसला कर अपने पक्ष में नुमाइशी रूप से परित्याग दिनांक 06.03.2013 को पंजीबद्व करवा दिया जो प्रार्थी के हक अधिकारो के समक्ष कतई अकृत शून्य व प्रभावहीन है। इस कारण प्रार्थी के हिस्से में अप्रर्थी संख्या 1 व 2 के मुकाबले कम खातेदारी दर्ज हुई है जबकि मौके व प्रार्थी 1/3 हिस्सा भूमि भाग पर निरन्तर निर्बाध रूप से शांति पूर्वक

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

काबिज काश्त है तथा इसी वर्ष भी बाजरा व मोठ की फसल काश्त की है अब कालान्तर में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नाजायज खातेदारी के आधार पर प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बेजा दखलअंदाजी पैदा करने व करवाने पर आमादा है जिसको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इसलिए अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/वादी ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 80 रकबा 3.79 हैक्टेयर के हिस्सा 1/3 की खातेदारी की घोषणा व मौके पर 1/3 हिस्सा भूमि भाग तथा वादी के हिस्सा 1/9,1/12 को दुरूस्त किया जाकर 1/3 हिस्सा किया जावें व स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता मौके एवं रिकार्ड की व विक्रय, अन्तरण बाबत चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट का घोषणा का वाद विचाराधीन है विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। पैतृक सम्पति का हक त्याग शेष अंशधारियों के सभी के पक्ष में होता है। दावा के विचाराधीन रहते यथास्थिति का आदेश दिया जाना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 2003 (ए.पी.)पेज 498 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट का दावा रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का है। अपीलांट द्वारा अब घोषणा का वाद होना गलत बताया जा रहा है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटक रेस्पोडेंट के पक्ष में है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे अपीलांट का वाद घोषणा का होना प्रकट होता है। रिकार्डेड खातेदार के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन कर अपीलांट का आवेदन खारिज करने का कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर